

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

ख्यालीराम वगैरा

बनाम

राज0 सरकार

प्रकरण सं0 - 2021/952

(Cncms)

अन्तर्गत धारा- 88 आरटीए

10.11.2021 वादीगण ख्यालीराम पुत्र मानाराम, सतपाल-दलीपकुमार-लोकेशकुमार-साहबराम पुत्रगण इमरतीदेवी जाति जाट साकिन 1 आरजेएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अपने नाम जमाबन्दी में दर्ज चक 1 आरजेएम के मु0 नं0 116/46 के किला नं0 18 ता 23 की 1.379 है0 कमाण्ड/अ0क0, मु0 नं0 116/38 के किला नं0 1, 10 ता 12, 16 ता 20 की 2.277 है0 कमाण्ड कुल 3.656 है0 कमाण्ड/अ0क0 भूमि की खातेदारी सनद जारी करने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 1 आरजेएम के मु0 नं0 116/46 के किला नं0 18 ता 23 की 1.379 है0 कमाण्ड/अ0क0, मु0 नं0 116/38 के किला नं0 1, 10 ता 12, 16 ता 20 की 2.277 है0 कमाण्ड कुल 3.656 है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबा आवंटीगण ख्यालीराम पुत्र मानाराम, सतपाल-दलीपकुमार-लोकेशकुमार-साहबराम पुत्रगण इमरतीदेवी जाति जाट साकिन 1 आरजेएम तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर को विशेष आवंटन में आवंटित हुआ था अब मुताबिक जमाबन्दी उक्त रकबा आवंटीगण के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है उक्त रकबे पर आवंटीगण की कब्जा काशत है। उक्त रकबा पर मुताबिक रिकॉर्ड विवाद/स्थगन नहीं है। मुताबिक रिकॉर्ड रकबा वन विभाग, दोहरे आवंटन से प्रभावित नहीं है। उक्त रकबा किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं है। उक्त रकबे पर मौके पर काशत सम्बंधी विवाद नहीं है। तहसीलदार द्वारा वादीगण को उक्त रकबा की खातेदारी सनद देने की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6-ए, सीलिंग सीमा व वनविभाग से प्रभावित नहीं है। वादीगण अपने कृषि भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाना चाहता है।

वादीगण के वाद पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण द्वारा अपनी आवंटित कृषि भूमि की खातेदारी सनद जारी करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि वादीगण के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि वादी के कब्जा काशत में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। अतः वादीगण को उक्त आवंटित रकबा का खातेदार करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्धारित प्रपत्र में खातेदारी सनद जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी

घड़साना